



अंत्योदय—सरल



भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड

निशक्त बच्चों के लिए वित्तीय सहायता—हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड (योजना)

पात्रता :

1. पंजीकृत कर्मकार की एक वर्ष नियमित सदस्यता
2. कर्मकार जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किये गये उसके आश्रित बच्चों का 50 प्रतिशत या से अधिक शारीरिक या मानसिक निशक्तता का निशक्तता प्रमाण—पत्र अपलोड करेगा।
3. आश्रित बच्चों के नाम राशन कार्ड में शामिल करवाए जाए।
4. कर्मकार शपथ—पत्र अपलोड करेगा कि उसने अपने आश्रित बच्चों के लिए हरियाणा सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम से चालू वित्तीय वर्ष में योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है।
5. कर्मकार प्रत्येक वर्ष आश्रित बालक का जीवित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत/अपलोड करेगा।
6. कर्मकार वचन देगा कि आश्रित बालक का कोई आय का साधन नहीं है और बालक अविवाहित है।

उपलब्ध करवाये जाने लाभ :

1. प्रतिमास रू0 2,000/— की वित्तीय सहायता चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए निशक्तता प्रमाण—पत्र के आधार पर बोर्ड द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज :

1. पहचान/नागरिकता का सबूत : आधार कार्ड
2. राजकीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया निशक्तता प्रमाण—पत्र



अंत्योदय—सरल



सेवा के लिए फीसें :

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
आजीवन में एक बार पंजीकरण फीस रू0 25/- और रू0 5/- प्रति मास (रू0 60/- प्रतिवर्ष) अंशदान फीस के रूप में लाभार्थी द्वारा बोर्ड को भुगतान की जाएगी।	रू0 10/-	रू0 10/-

सेवा का अधिकार समय सीमा : 90 दिन